


**फर्द अहकाम
(नियम-26)**

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़ (राज0)
श्री शान्तिलाल पिता जगनाथ जी छीपा, बालाजी नमकीन, नास्ता, सुभाष चौक, चित्तौड़गढ़
बनाम

उप पंजीयक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, चित्तौड़गढ़
किस्म प्रकरण अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
प्रकरण संख्या 38 / 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/03/21	<p>सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलार्थी श्री शान्तिलाल पिता जगनाथ जी छीपा निवासी बालाजी नमकीन, नास्ता सुभाष चौक, नीम के नीचे, चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना प्राप्ति हेतु एक आवेदन दिनांक 12.02.2021 को उप पंजीयक, चित्तौड़गढ़ को प्रस्तुत किया। उप पंजीयक, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रार्थी को उक्त आवेदन पत्र से चाही गई सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस कार्यालय को प्रस्तुत की गई है।</p> <p>यहां यह उल्लेखनीय है कि यह कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) का अपीलीय प्राधिकारी होकर लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर ही अपील ग्रहण करता है। अपील के साथ संलग्न सूचना के अधिकार के तहत प्रस्तुत आवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आवेदन उप पंजीयक, चित्तौड़गढ़ को सम्बोधित है एवं चाही गई सूचनाएं भी उन्ही से संबंधित है जो कि पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग का विषय है। उप पंजीयक, चित्तौड़गढ़ के विरुद्ध प्रस्तुत अपील पर इस कार्यालय द्वारा सुनवाई की सक्षमता/क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः अपीलार्थी को संबंधित अपीलीय प्राधिकारी (महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर) के यहां अपील प्रस्तुत करने के परामर्श के साथ अपील निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे।</p> <p align="center">  (के.के.शर्मा) लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.) </p>	

